न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010041052026

Bail Application/1135/2026
Mohit Alias Kalwa Vs. State of U.P.
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1135/2026

मोहित उर्फ कलवा पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम श्यामपुर जटट थाना बाबूगढ जिला हापुड।

बनाम

सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–114 सन–2026
अ० धारा–137(2),65(1) बी0एन0एस0
व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम
थाना– बाबूगढ , जिला– हापुड़।

03.06.2026

अभियुक्त मोहित उर्फ कलवा पुत्र कृष्ण की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचना के आधार पर कोई जुर्म नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के देरी से दर्ज कराने का कोई का अंकित नही है। परिवादी सतीश ने अपनी पुत्री ''एम'' की उम्र 15 वर्ष गलत अंकित करायी है। ''एम'' की जन्मतिथि 14–08–2005 है। जिसके अनुसार उसकी आयु 20 वर्ष 9 माह है। अर्थात ''एम'' पुत्री सतीश कथित घटना के समय व्यस्क है। जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पॉस्को का अपराध नही बनता है। पुलिस द्वारा परिवादी की सूचना पर उक्त केस अ0 धारा–137(2) बी० एन० एस० के अर्न्तगत दर्ज किया गया था। पीडिता नाबालिग नही है, अपना अच्छा बुरा समझाने में सक्षम है तथा पीडिता ''एम'' व मोहित उर्फ कलवा ने अपनी शादी को दि0 20–4–2026 को गाजियाबाद मैरिज ऑफिसर के सामने उपस्थित होकर रजिस्टर्ड कराया है, जिसके अनुसार भी ''एम'' की आयु 20 वर्ष से अधिक है। ''एम'' को कोई बाहरी व अन्दरूनी चोट नही है ''एम'' के साथ कोई जबरदस्ती नही की गयी है। ''एम'' व प्रार्थी/अभियुक्त के बीच अभी तक कोई

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.04 14:06:47 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

शारीरिक सम्बन्ध नहीं बने है । विवेचक ने ''एम'' के ब्यान अपनी तरफ के स्वयं लिखे हैं, ''एम'' ने कोई ब्यान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नहीं दिया है। विवेचक ने अपनी मनमानी करते हुए अधूरी विवेचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जेल भेजने का जिम्मेदार है। विवेचक ने प्रार्थी/ अभियुक्त की गिरफ्तारी को कोई लिखित सूचना प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिवारजनो को नही दी है। जिस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त को गिरफतारी अवैध है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नही है, जो भी साक्षी दर्शाये गये है वो रिपोर्टकर्ता के हितबद्ध साक्षी है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त के भागने क गवाहो को तोडने धमकाने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस विवेचना में तथा न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग देने को तैयार है और सदैव तैयार रहेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त के द्वारा मान्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोडकर जाने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दि0 02.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है । उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थी सतीश पुत्र सतपाल ग्राम श्यामपुर जटट थाना बाबूगढ जिला हापुड का रहने वाला हूं। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री ''एम'' उम्र 15 वर्ष को कल दिनांक 14–4–2026 को सुबह समय करीब 4.30 बजे के लगभग मोहित उर्फ कलवा पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम श्यामपुर जटट जिला हापुड बहका फुसलाकर साथ ले गया है। तथा मेरी पुत्री का रंग गेहूंआ है तथा हाईट लगभग 5 फुट है, जिसका अभी तक कुछ पता नही चला है। तथा मैने अपनी पुत्री ''एम'' को सभी स्थानो पर तलाश किया, परन्तु उसका अभी पता नही चला। प्रार्थी को अपनी पुत्री के साथ किसी अनहोनी की आशंका है तथा उक्त विपक्षी मेरी पुत्री के साथ किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। प्रार्थी मदद वास्ते आपके पास तहरीर देने आया है। प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करके मेरी पुत्री की जान माल की सुरक्षा करके आवश्यक कार्यवाही करने तथा विपक्षी के कब्जे से मेरी पुत्री को सकुशल बरामद करने की कृपा करे ।''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक, की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं पत्रावली /केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादी की अव्यस्क 15 वर्षीय पुत्री ''एम'' को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला करने का गंभीर आरोप है । दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीडिता की आयु/जन्मतिथि की बाबत संकलित जनहित इंटर कालिज श्यामपुर जट्ट हापुड द्वारा जारी टी0सी0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें पीडिता की जन्मतिथि 14.08.2010 अंकित है , जिससे कथित घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 15 वर्ष 8 माह प्रथम दृष्टया दर्शित होती है । पीडिता द्वारा अपने बयान अ0धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त के साथ गाजियाबाद जाने , अभियुक्त व उसके मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने का कथन किया है । जहां तक बचाव पक्ष द्वारा पीडिता के सहमति से अभियुक्त के साथ जाने का तर्क है, तो इस सम्बन्ध में अव्यस्क पीडिता के संरक्षक की सहमति के बिना अव्यस्क पीडिता की सहमति महत्वहीन होती है । मामला पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मोहित उर्फ कलवा पुत्र कृष्ण का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 114 सन–2026,अ० धारा–137(2),65(1) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम,थाना– बाबूगढ , जिला– हापुड़ के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।